# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय–आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है जिनका विवरण निम्नानुसार है:–

कार्मिको का विवरण–

| S.N. | NAME AND POST | POSTING PLACE | DOB | JOURNEY PLACE AND PERIOD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADHU GUPTA Senior Teacher English | SHRI RAM SAHAY MEENA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NANGAL BAIRSI DAUSA | 30-03-1969 | SINGAPORE DATE 20/08/2023 TO 29/08/2023 (10 DAYS) |
| 2 | ANIL KUMAR BAIRWA Senior Teacher Hindi | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MOONDLI JAIPUR | 20-06-1985 | PULAU PINANG, MALAYSIA DATE 05/09/2023 TO 14/09/2023 (10 DAYS) |
| 3 | KULDEEP KAUR Teacher Level-2 Social Studies | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BARI DHAULPUR | 13-04-1970 | Germany 59939 Olsberg DATE 19/08/2023 TO 23/09/2023 (36 DAYS) |
| 4 | BHEEM SINGH JODHA Senior Teacher Hindi | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ROJA NAGAUR | 01-07-1982 | Pattaya, Thailand DATE 23/08/2023 TO 28/08/2023 (06 DAYS) |
| 5 | BHARTI CHANDEL Senior Teacher Social Science | GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PANCHYAWALA JAIPUR | 26-01-1980 | FRANCE, PARIS DATE 25/09/2023 TO 01/10/2023 (07 DAYS) |
| 6 | GARIMA SINGH DHAKAD Senior Teacher Science | SHAHID LT.PUNEETNATH DUTT & SHAHID MAJOR YOGESH AGRAWAL GSSS MURLIPURA BEED JAIPUR | 11-10-1990 | DUBAI UAE DATE 01/10/2023 TO 07/10/2023 (07 DAYS) |

शर्ते :–

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :–
  - ➢ कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - ➢ कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - ➢ कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जायेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

क्रमांक: शिविरा–मा/संस्था/एफ–3/13320/विदेश यात्रा/2023/पार्ट–2/ दिनांक: 18/08/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग।
2– जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, दौसा, जयपुर, धौलपुर, नागौर।
3– सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोगामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
4– संबंधित संस्थाप्रधान को भेजकर लेख है कि शिक्षण व्यवस्था बाधित न हो इसकी विद्यालय स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित करे।
5– संबंधित कार्मिक।
6– रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

Signature valid
Digitally signed by A[illegible]d Kumar Vyas
Designation : [illegible]rector Personnel
Date: 2023.08.[illegible]0:42:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4529339

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते